



राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

चैत्र 6, रविवार, शाके 1933 मार्च 27, 2011  
Chaitra 6, Sunday, Saka 1933 March 27, 2011

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

2250 1051  
30-3-11

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(गुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2011

संख्या प. 2 (14) विधि/2/2011:- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी

और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 1)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में विभिन्न अनुज्ञायी, अनुज्ञाओं और अनुमोदनों की त्वरित और समयबद्ध मंजूरी के लिए तथा सक्षम प्राधिकारियों के समय पर कार्य करने में विफल रहते की दशा में उपयोग में लायी जाने वाली एक वैकल्पिक एकल खिड़की अनुज्ञापन प्रणाली को समर्थ बनाने के लिए, विनिधानकर्ता के प्रति अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता देने के लिए तथा इससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवे वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह धारा 26 दिसम्बर, 2010 को और से प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के अन्य उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जो सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए-

(क) राज्य में भिन्न-भिन्न जिलों; और

(ख) आवेदन प्रूप के रूप विधान-

में या उनके संबंध में भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी भी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, ऐसे जिलों में या आवेदन प्रूप के ऐसे रूप विधान के संबंध में, उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

2. परिभाषाएँ.-इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विनिधान संवर्धन व्यूरो" से धारा 4 के अधीन यथा घोषित विनिधान संवर्धन व्यूरो अभिप्रेत है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार का कोई विभाग या एजेंसी, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय, राज्य के स्वामित्वाधीन निगम, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, या किसी राजस्थान विधि के अधीन या सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित ऐसा कोई भी अन्य प्राधिकारी या एजेंसी, जिसको राज्य में कोई उद्यम स्थापित करने या उसकी संक्रियाएं प्रारंभ करने के लिए अनुज्ञाएँ मंजूर या जारी करने के लिए शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यस्त किये गये हैं, अभिप्रेत है;

(ग) "जिला सशक्त समिति" से धारा 3 के अधीन गठित जिला सशक्त समिति अभिप्रेत है;

(घ) "उद्यम" से, माल के किसी भी रीति से विनिर्माण या उत्पादन में लगा हुआ, या कोई सेवा या सेवाएं उपलब्ध कराने या देने में लगा हुआ कोई औद्योगिक उपक्रम या कोई कारबार समुदाय, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है;

- (ङ) "सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- (च) "विनिधानकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो आय या लाभ या सामान्य सामाजिक हित की प्राप्ति हेतु किसी नये उद्यम में, या किसी विद्यमान उद्यम में विस्तार, आधुनिकीकरण या विविधीकरण करने के लिए पूंजी विनिधान करता है;
- (छ) "नोडल एजेंसी" से धारा 5 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसियां अभिप्रेत हैं;
- (ज) "अधिसूचना" से राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और शब्द "अधिसूचित" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;
- (झ) "अनुज्ञा" से राजस्थान राज्य में किसी उद्यम की स्थापना के सम्बन्ध में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा, अनापति प्रमाणपत्र, अनुज्ञापन, आबंटन, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, नामांकन, अनुज्ञासि इत्यादि का मंजूर या जारी किया जाना अभिप्रेत है और इसमें ऐसी समस्त अनुज्ञाएं सम्मिलित होंगी जो किसी उद्यम द्वारा उसके कार्य प्रारम्भ करने तक किसी भी राजस्थान विधि के अधीन अपेक्षित हों;
- (ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ट) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है; और
- (ठ) "राज्य सशक्त समिति" से धारा 3 के अधीन गठित राज्य सशक्त समिति अभिप्रेत है।

3. राज्य सशक्त समिति और जिला सशक्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य.-(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य में विनिधान के संवर्धन के प्रयोजन के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए धारा 11 में यथा उल्लिखित फायदों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद् की सहायता हेतु और, यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 12 के अधीन

विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर ऐसे आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने में विफल रहता है तो राजस्थान विधियों के अधीन अपेक्षित अनुज्ञाओं के लिए आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने के लिए राज्य सशक्त समिति का गठन कर सकेगी।

(2) राज्य सशक्त समिति, रियायतें देने के लिए आवेदनों का परीक्षण करेगी या किसी भी राजस्थान विधि के उपबंधों से छूट या शिथिलीकरण को मंजूर करेगी, विभागों की टिप्पणियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी, जहां भी आवश्यक हो वहां विनिधानकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेगी और मंत्रि-परिषद् को सिफारिशें करेगी। मंत्रि-परिषद् को सिफारिशें प्रस्तुत करने की समय-सीमा ऐसी होगी जो धारा 12 के अधीन विहित की जाये।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर ऐसे आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने में विफल रहता है तो सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजस्थान विधियों के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के लिए आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने के लिए प्रत्येक ज़िले के लिए एक ज़िला सशक्त समिति गठित कर सकेगी।

(4) यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनका निपटारा करने में विफल रहता है तो किसी राजस्थान विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, ज़िला सशक्त समिति को, राजस्थान विधि के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने की शक्ति होगी। इस प्रयोजन के लिए, ऐसी विधि में सक्षम प्राधिकारी के प्रति निर्देश का अर्थ, राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, ज़िला सशक्त समिति के प्रति निर्देश को सम्मिलित करते हुए लगाया जायेगा:

परन्तु जहां समिति बैठक करने में या आवेदन पर तुरन्त विचार करने में अन्यथा असमर्थ है, वहां संबंधित समिति का अध्यक्ष, लेखबद्ध

कारणों से, आवेदन को विनिश्चित कर सकेगा और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट समिति की आगामी बैठक में उसको प्रस्तुत कर सकेगा और समिति के किसी विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे आवेदन पर अध्यक्ष का विनिश्चय, सभी प्रयोजनों के लिए, इस धारा के अधीन संबंधित समिति का विनिश्चय समझा जायेगा।

(5) राज्य सशक्त समिति और जिला सशक्त समिति को ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किये जायें, समनुदेशित किये जा सकेंगे।

(6) जहां उप-धारा (4) के अधीन राज्य सशक्त समिति या जिला सशक्त समितियों में से किसी भी समिति द्वारा अनुज्ञा जारी की जाती है, वहां राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति, उस संबंधित सक्षम प्राधिकारी, जो धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर आवेदन का निपटारा करने में विफल रहा है, के विरुद्ध समुचित कार्रवाई के लिए सरकार को सिफारिश कर सकेगी।

4. विनिधान संवर्धन व्यूरो की घोषणा.-विद्यमान विनिधान संवर्धन व्यूरो, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विनिधान संवर्धन व्यूरो होगा।

5. नोडल एजेंसी-.(1) विनिधान संवर्धन व्यूरो, राज्य सशक्त समिति के लिए नोडल एजेंसी होगा।

(2) जिला उद्योग केन्द्र, जिला सशक्त समिति के लिए नोडल एजेंसी होगा।

6. नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य.-सरकार और राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(i) आवेदन प्ररूपों को पूर्ण करने में विनिधानकर्ताओं की सहायता करना, पूर्ण किये गये आवेदनों को अभिस्वीकृत करना और ऐसे आवेदन को धारा 12 के अधीन विहित समय सीमा के भीतर-भीतर कार्यवाही करने और उनके निपटारे के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को अग्रेषित करना;

- (ii) आवेदनों की प्रास्थिति मानीटर करना और आवेदनों की प्रास्थिति की रिपोर्ट को राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति के समक्ष रखना;
- (iii) जहां संबंधित सक्षम प्राधिकारी धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर आवेदन पर विचार करने और उसका निपटारा करने में विफल रहा है, वहां विनिधानकर्ता के आवेदन को राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति के समक्ष उसके विनिश्चय के लिए रखना;
- (iv) धारा 11 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिधानकर्ता से आवेदन प्राप्त करना;
- (v) धारा 11 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिधानकर्ता से प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों की टिप्पणियां प्राप्त करना;
- (vi) संबंधित विभाग या प्राधिकारी की टिप्पणियां, यदि कोई हों, को धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर राज्य सशक्त समिति को प्रस्तुत करना;
- (vii) यदि विहित समय-सीमा में संबंधित विभाग या प्राधिकारियों से कोई भी टिप्पणी प्राप्त न हो तो धारा 11 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिधानकर्ता से प्राप्त आवेदन को धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर, राज्य सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

7. संबंधित विभाग या प्राधिकारी की बाध्यताएं.- (1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 6 के खण्ड (i) के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा उसको अग्रेषित किये गये आवेदन पर धारा 12 के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर विचार करेगा और उसका निपटारा करेगा।

(2) संबंधित विभाग या प्राधिकारी, विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर, धारा 6 के खण्ड (v) के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा चाही गयी टिप्पणियां उपलब्ध करायेगा, और, यदि संबंधित विभाग या

प्राधिकारी, विहित समय-सीमा के भीतर-भीतर टिप्पणियां उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो यह समझा जायेगा कि धारा 11 में यथा उल्लिखित अध्यपेक्षित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के संबंध में संबंधित विभाग या प्राधिकारी का कोई आक्षेप या सुझाव नहीं है।

8. आवेदन का प्ररूप-  
(1) सरकार, या तो भौतिक या इलेक्ट्रोनिक रूप विधान में, एक ऐसा आवेदन प्ररूप विहित करने के लिए सक्षम होगी जो-

- (क) केन्द्रीय विधियों के अधीन प्ररूपों; और
- (ख) राजस्थान विधियों के अधीन विद्यमान प्ररूपों या विद्यमान प्ररूपों के स्थान पर नये प्ररूपों या उपांतरित प्ररूपों से मिलकर बनेगा।

(2) सभी संबंधित विभाग या प्राधिकारी कार्यवाही करने के लिए और अपेक्षित अनुज्ञा जारी करने के लिए ऐसा आवेदन प्ररूप स्वीकार करेंगे।

(3) प्रत्येक विनिधानकर्ता, नोडल एजेंसी को आवेदन प्ररूप प्रस्तुत करते समय, ऐसे विहित प्ररूप में, एक 'स्व-प्रमाणन', यह प्रमाणित करते हुए देगा कि वह सुसंगत विधियों के लागू होने योग्य उपबंधों का अनुपालन करेगा। विनिधानकर्ता द्वारा दिया गया स्व-प्रमाणन अनुज्ञा जारी करने और मंजूर करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

9. आवेदन का फाइल किया जाना-  
(1) अनुज्ञाओं के लिए सभी आवेदन विहित रीति में धारा 5 की उप-धारा (1) और (2) में उल्लिखित नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) धारा 11 में यथा उपबंधित अनुकूलित पैकेज, रियायतें, छूटें या शिथिलीकरण प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवेदन धारा 5 की उप-धारा (1) में उल्लिखित नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगा, जो विहित की जाये।

10. अतिरिक्त सूचना मंगाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति.-(1) अनुज्ञाओं के लिए आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी को आवेदक से, यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की शक्तियां होंगी:

परन्तु इस धारा के अधीन अतिरिक्त सूचना केवल एक बार ही अध्यपेक्षित की जा सकेगी और अध्यपेक्षा-पत्र नोडल एजेंसी के माध्यम से भेजा जायेगा।

(2) आवेदक अपेक्षित सूचना सम्बन्धित नोडल एजेंसी को देगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, आवेदन को कारणों सहित मंजूर करने या नामंजूर करने के पश्चात् अपने आदेश सम्बन्धित विनिधानकर्ता को भेजेगा और उनकी एक प्रति सम्बन्धित नोडल एजेंसी को पृष्ठांकित करेगा।

11. अनुकूलित पैकेजों, रियायतों, छूटों या शिथिलीकरणों की मंजूरी-जहां सरकार या उसके अधीनस्थ कोई भी अन्य प्राधिकारी ऐसे अनुकूलित पैकेज, रियायतें, छूटें या शिथिलीकरण मंजूर करने के लिए किसी भी राजस्थान विधि के अधीन सशक्त किया गया हो, वहां सरकार, राज्य में विनिधान को सुकर बनाने की दृष्टि से, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, राज्य में किसी उद्यम या उद्यमों के प्रवर्ग को अनुकूलित पैकेज, रियायतें, छूटें या शिथिलीकरण मंजूर कर सकेगी।

12. आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए समय-सीमाएं.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी राजस्थान विधि, नीति या आदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनका निपटारा करने के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगी।

(2) सरकार, नोडल एजेंसी के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने और सक्षम प्राधिकारी, संबंधित विभाग या प्राधिकारी से टिप्पणियों के लिए और उनको राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगी।

(3) सरकार, राज्य सशक्त समिति के लिए, इसकी सिफारिशें मंत्रि-परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगी।

**13. अपील-कोई भी विनिधानकर्ता-**

- (i) सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से व्यथित होने पर राज्य सशक्त समिति को;
- (ii) जिला सशक्त समिति के आदेशों से व्यथित होने पर राज्य सशक्त समिति को;
- (iii) राज्य सशक्त समिति के आदेशों से व्यथित होने पर सरकार को,-

अपील किये जाने वाले आदेश की विनिधानकर्ता द्वारा प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर अपील कर सकेगा।

**14. पुनरीक्षण.**-(1) किसी राजस्थान विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी सरकार, या तो स्वप्रेरणा से या उसको इस निमित्त किये गये आवेदन पर, किसी भी सक्षम प्राधिकारी या राज्य सशक्त समिति या किसी जिला सशक्त समिति के समक्ष की किसी भी कार्यवाही का अभिलेख मंगवा सकेगी और उसमें की कार्यवाहियों या उसमें पारित आदेशों के औचित्य का परीक्षण कर सकेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदेश लोकनीति के विरुद्ध नहीं हैं, न ही विधि के उपबंधों के विरुद्ध हैं और उनमें अनुज्ञाओं के लिए आवेदन के नामंजूर किये जाने के मामलों में, इस प्रकार पुनरीक्षित किये जाने वाले आदेशों के जारी होने के एक वर्ष के भीतर-भीतर और अनुज्ञाओं की मंजूरी के मामलों में तीन मास के भीतर-भीतर, ऐसे आदेश कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(2) इस धारा के अधीन सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश अंतिम होंगे और समस्त संबंधितों पर बाध्यकारी होंगे।

**15. राज्य सशक्त समिति और जिला सशक्त समिति की अधिकारिता.**-विनिधान का वह वर्ग, जिसके लिए, या विनिधान की वे सीमाएं, जहां तक, राज्य सशक्त समिति या किसी जिला सशक्त समिति को धारा 3 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने की अधिकारिता होगी, ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

**16. सदभावपूर्वक** की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.-राज्य सशक्त समिति या जिला सशक्त समिति के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या ऐसी

समिति के निदेश के अधीन कार्य करने वाले सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसीही नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की जाये या की जाने के लिए आशयित हो।

17. गोपनीयता.-सरकार की कोई भी एजेन्सी या प्राधिकारी, या कोई भी स्थानीय प्राधिकारी जिसमें उसके अधीन के कृत्यकारी सम्मिलित हैं, विनिधानकर्ता की किसी बौद्धिक संपत्ति की श्रेणी में आने वाली किसी भी सूचना को ऐसे विनिधानकर्ता की सहमति के बिना किसी अन्य विनिधानकर्ता या सम्यक रूप से प्राधिकृत न किये गये किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा।

परन्तु राज्य में किये गये विनिधान के निवंधनों और शर्तों तथा सरकार या उसकी किसी भी एजेन्सियों या प्राधिकारियों में से किसी के द्वारा, या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विनिधानकर्ता को उपलब्ध करायी गयी सुविधाएं, यदि कोई हों, के सम्बन्ध में समस्त सूचना सरकार द्वारा जनता को सूचना के लिए अधिसूचित की जायेगी।

18. अंतःकालीन उपबंध.-इस अधिनियम के उपबंध ऐसे सभी विनिधान प्रस्तावों पर लागू होंगे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को सरकार या उसकी एजेन्सियों, प्राधिकारियों या उपकरणों में से किसी के विचाराधीन रहे हैं, यदि सम्बन्धित विनिधानकर्ता विहित प्ररूप और रीति में नोडल एजेन्सी को आवेदन प्रस्तुत करके ऐसा विकल्प देता है।

19. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना.-इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य राजस्थान विधि, या ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी लिखित में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होने पर भी, अध्यारोही प्रभाव रखेंगे।

20. कठिनाई के निराकरण की शक्ति.-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वयित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस

अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

21. नियम बनाने की शक्ति- (1) सरकार, साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व, राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण, उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

22. निरसन और व्यावृत्तियां- (1) राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 04) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां, जारी की गयी अधिसूचनाएं या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

सत्य देव टाक,  
प्रमुख शासन सचिव।